न्यायालय सहायक कलक्टर, (FAST TRACK) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती छायासिंह, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 352/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. खेराजराम पुत्र चोलाराम जाति जाट निवासी बलाऊ तहसील व जिला बाडमेर।		1 दमाराम पुत्र चोलाराम 2 लूणी पत्नी जेठाराम जाति जाट निवासी बलाऊ तहसील व जिला बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :—

1. श्री सोहनलाल चौधरी, वकील वादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 24/07/25

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा चैनपुरा पटवार क्षेत्र राणीगांव तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 221/82 रकबा 137.07 बीघा, खसरा संख्या 224/82 रकबा 35.05 बीघा, खसरा संख्या 79 रकबा 0.06 बीघा भूमि तथा मौजा बैरड़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र राणीगांव तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 328/181 रकबा 123.18 बीघा भूमि आई हुई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 सगे भाई है। वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कब्जा काश्त है। वादीगण का उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त भूमि 1/2 हिस्सा है, उसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 मौके पर कब्जा काश्त कर रहे है। राजस्व हिस्से में हिस्सा दर्ज नही होने से वादीगण अपना 1/2 हिस्सा का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 बाहमी तौर पर भूमि का विभाजन कर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा नही होने से कब्जे को लेकर विवाद रहता है, लिहाजा वादीगण अपना 1/2 हिस्सा पृथक करवाने कर घोषित करवाने के अधिकारी है।

उक्त वाद में बाद समूचित सुनवाई प्राथमिक निर्णय दिनांक 24.06.2022 को पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बाड़मेर से भूमि विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/1425 दिनांक 02.06.2025 के जरिये भूमि विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को उपलब्ध करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhaya Singh
Date: 2025.09.18 13:14:25 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त भूमि [illegible] प्रस्ताव को वकील वादी द्वारा स्वीकार किया है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा पेश [illegible] प्रस्ताव पर खातेदारान के हस्ताक्षर है। वकील वादी की बहस सुनी गई, वकील वादी द्वारा तहसीलदार बाडमेर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुसार एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। लिहाजा वादी का वाद व

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

C:\JITENDRA RAMAWAT\Fast Track Order\order 53 FT.docx

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा चैनपुरा पटवार क्षेत्र राणीगांव तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 221/82 रकबा 137.07 बीघा, खसरा संख्या 224/82 रकबा 35.05 बीघा, खसरा संख्या 79 रकबा 0.06 बीघा भूमि तथा मौजा बैरड़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र राणीगांव तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 328/181 रकबा 123.18 बीघा भूमि का खातेदारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन कर लगान का निर्धारण किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

मौजा :– चैनपुरा

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	खेराजराम पुत्र चोलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	79 221/82	0.0486 20.5014	गैमु बा.दो.	– 7.59	हरा
	योग :–	2	20.5500	–	7.59	–
2	दमाराम पुत्र चोलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	224/82	4.7349	बा.दो.	1.75	पीला
3	लूणी पुत्री खेराजराम जाति जाट सा. देह खातेदार	224/82	0.9712	बा.दो.	0.36	लाल
4	खेराजराम पुत्र चोलाराम जाति हिस्सा 1/2 जाट सा. देह खातेदार दमाराम पुत्र चोलाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	221/82	1.7320	बा.दो.	0.64	बैंगनी
	योग :–	3	27.9881	–	10.34	–

मौजा :– बैरड़ों की ढाणी

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	खेराजराम पुत्र चोलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	328/181	1.6350	बा.सो.	0.51	हरा
2	दमाराम पुत्र चोलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	328/181	18.4212	बा.सो.	5.71	पीला
	योग :–	2	20.0562	–	6.22	–

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhaya Singh
Date: 2025.09.18 13:14:25 IST
Reason: SelfAttested

(छायासिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 24/07/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर